

A-4
1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

संख्या 193/2020

1. श्री मुरारीलाल उम्र 55 साल पुत्र स्व. लीलाधर जाति महाजन नि0 सुल्ताना, तह. चिडावा जिला झुंझुनू हाल आबाद बसिलसिले व्यवसाय दिल्ली जरिये मुख्तयार खास श्रीमती मीना देवी उम्र 48 साल पुत्री स्व.लीलाधर पत्नी श्रवण कुमार पोद्दार, जाति महाजन नि0 सुल्ताना, तह. चिडावा जिला झुंझुनू।
2. श्रीमती मीना देवी उम्र 48 साल पुत्री स्व. लीलाधर पत्नी श्रवण कुमार पोद्दार, जाति महाजन नि0 सुल्ताना, तह. चिडावा जिला झुंझुनू।

—अपीलान्टस

बनाम

1. तहसीलदार (भू.अ.) चिडावा तह. चिडावा व जिला झुंझुनू।
2. खालिद पुत्र इस्लामुदीन, जाति मुस्लिम, नि0 सुल्ताना, तह. चिडावा जिला झुंझुनू।

—रेस्पोजेन्टस

अपील विरुद्ध संपरिवर्तन आदेश दि0 02.09.2020 द्वारा तहसीलदार(भू.अ.) चिडावा

- उपस्थित—
1. श्री मनोज कुमार वर्मा— अपीलान्ट की ओर से।
 2. श्री विनोद कुमार गिल—रेस्पोजेन्ट सं0 2 की ओर से।
 3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक—रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 21.01.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा के

आदेश दिनांक 02.09.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के अन्तर्गत प्रकृत प्रकार से है कि यह कि रेस्पोजेन्ट सं0 2 के आवेदन पर रेस्पोजेन्ट सं0 तहसीलदार (भू.अ.) चिडावा द्वारा ग्राम सुल्ताना भूमि ख0नं0 2069/485 की 0.18 है0 तादादी पर 1800 वर्गमीटर



ने 67/1997 (02/2000) प्रस्तुत कर दिया। जिसमें अपीलांट व उनके अन्य
 हैं-बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया और न्यायालय का निर्णय बाला-बाला अपने पक्ष में दि.
 24.01 डिक्री एकपक्षीय करवा ली जिससे बाबत ज्ञान होने पर स्वयं पुरुषोत्तम ने माननीय
 न्यायालय जयपुर में अपील पेश की। माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश पर
 नयाई कर न्यायालय के डिक्री 19.4.2001 को अपने स्थगन आदेश दि० 21.12.2018 में
 स्थगन से स्थगित कर दिया, जो आदेश आज तक प्रभावी है। उक्त दयाचंद अपने पक्ष में जो
 इकरारनामा होना बताया है, वह फर्जी है तथा फर्जी होने के साथ दस्तावेज के कंडीशनल
 की के अधीन होने पर भी न्यायालय एडीजे-1 झुन्झुनू ने दावा डिक्री कर दिया जबकि
 झुन्झुनू सीपीसी प्रावधानों के अधीन विधिक नोटिस नहीं देकर सीधा इकरारनामा की पालना
 कर दावा कर दिया जिसमें ना तो संपूर्ण खातेदारो-हिस्सेदारो को दावा में पक्षकार बनाया है
 या जिस पुरुषोत्तम को पक्षकार बनाया, जो कि ग्राम सुलताना निवास नहीं निवास कर
 तोसना रहता है, उसका प्रोपर एड्रेस दावा में नहीं है जिस कारण उसकी एक्सपार्टी हो
 सी। उत्पश्चात भी उन अति महत्वपूर्ण कानूनी त्रुटियों को नजरअंदाज कर न्यायालय
 डिक्री-1 झुन्झुनू ने गलत रूप से दावा उक्त दयाचंद के हक में डिक्री कर दिया। उक्त
 दयाचंद ने वादग्रस्त ख.नंबरान की भूमि को हकीमुदीन निवासी सुलताना व हकीमुदीन ने आगे
 इन लोगों को विक्रयपत्र कर भूमि पर बट्टे नंबर डलवाकर बंटवारा कर दिया जबकि
 वादग्रस्त ख०नंबर की भूमि में सर्वप्रथम तो दयाचंद का महज 1/2 हिस्सा था और शेष 1/2
 हिस्से के खातेदार काशतकार अपीलांट व उसके भाई थे। इस प्रकार से वर्तमान में वादग्रस्त
 भूमि के अलग-अलग बट्टा नंबर पड चुके हैं। जबकि इसी ख.नं० की जमीन बाबत दावा
 पहले से ही एसडीओ कोर्ट चिडावा तथा दावे की टी.आई. की अपील रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन
 है तथा इसी दौरान दावा दायरी के समय विवादित जमीन को एसडीओ कोर्ट चिडावा द्वारा स्टे
 किया गया था जिसकी अवमानना करने पर उक्त हकीमुदीन ने कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की
 कार्यवाही की गयी, जो आज भी विचाराधीन है। रेस्पा० नं० 2 ने रेस्पा० नं० 1 के समक्ष दि०
 30.7.2020 को उक्त ख० नंबर 484 व 485 की भूमि पर डाले गये नये ख०नंबर 2069/485
 का 1800 वर्गमीटर के संदर्भ में आवासीय इकाई के रूप में संपरिवर्तन कराने हेतु आवेदन
 किया जिस पर राज.भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए
 संपरिवर्तन नियम 2007 के अधीन मौका जांच रिपोर्ट गलत तैयार की गयी और उक्त ख०
 नंबर की भूमि बाबत मौका रिपोर्ट में पैरा नं० 16 पर अंकित कर दिया कि आवेदित भूमि किसी
 न्यायालय में वादग्रस्त नहीं है। जबकि वादग्रस्त जमीन बाबत एसडीओ कोर्ट चिडावा, राजस्व
 अधिकारी कैम्प कोर्ट झुन्झुनू, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में कई रेवेन्यू बाद विचाराधीन है
 जिसमें स्वयं तहसीलदार महोदय भी पक्षकार है तथा साथ ही इन मुकदमों बाबत ग्राम
 सुलताना के समस्त ग्रामवासी भी अवगत है। इस तरह भली-भांति ज्ञात होते हुए पटवारी
 इत्यादि द्वारा रेस्पोर्डेंट सं० 2 के प्रभाव में संपरिवर्तन आदेश से पहले तैयार की गयी मौका

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

बहुत जल्द तथ्यों पर तैयार होने से खारिज होने योग्य है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट नं. 06.8.2020 तैयार की है, वह अपने आप में संदिग्ध है। क्योंकि वास्तव में ख.नंबर 485 का 1.28 है 0 एवं 484 संपूर्ण रकबा पर अपीलांटस का ही कब्जा-कास्त है। किंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस संदर्भ में चिडावा पुलिस द्वारा भी हकीमुद्दीन व अन्य के खिलाफ एफ.आई.ए. नं. 680/19 के फौजदारी प्रकरण में दि. 20.11.19 को अपीलांटस के वादग्रस्त प्लॉट नंबर का नक्शा मौका तैयार किया है जिसमें मंदिर, कुआं आज भी मौजूद है जिससे प्लॉट से लेकर आज तक वादग्रस्त मजिन पर अपीलांटस पक्ष का काबिज होना स्पष्ट साबित है। किंतु पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट व नक्शा में कही भी इन स्मारक बाबत कुछ भी उल्लेख या दर्शाया नहीं किया कि इससे स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट ने अप्रार्थी सं० 2 के प्रभाव में नक्शा रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। रेस्पोंडेंटस 1 के समक्ष वादग्रस्त ख० नं० पर रूपांतरण आदेश जारी किये जाने के रोज वादग्रस्त जमीन बाबत कई न्यायिक राजस्व मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच व रेवेन्यू अदालत में विचाराधीन थे इसलिए जब तक अदालत इन बाबत अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक भूमि के रूपांतरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन रेस्पों. नं. 1 स्वयं भी इन कई प्रकरण में पक्षकार होने के बावजूद वादग्रस्त प्लॉट के बाबत ज्ञान होते हुए भी रूपांतरण आदेश की कार्यवाही की है। इसलिए रेस्पों. सं. 1 का आदेश दि० 02.9.2020 सीधे-सीधे विधि एवं पत्रावली के विरुद्ध है। तहसीलदार (भू.अ.) चिडावा का स्वीकृत आदेश दि० 02.9.2020 का है किंतु अपीलांट का वादग्रस्त आराजीयत बाबत भूमि के आवासीय रूपांतरण आदेश की जानकारी दि० 22.10.2020 को हुई जिस पर तत्सम रोज संबन्धित नकल अधिकारी की नकल लेने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 04.11.2020 को नकल देखने पर पूरी जानकारी हुई और इस आदेश को चुनौती देने के लिए अपीलांट ने समस्त जरूरी कागजात जुटाये और अपील तैयार करवायी जिस कारण यह अपील अंदर मियाद है तथा माननीय न्यायालय द्वारा कोविड 19 के प्रभाव के चलते बाद वादग्रस्त मियाद बाबत रियायत दी गयी है। अपीलांटस सं० 2 अपने कामकाज के सिलसिले से काफी वर्षों से परिवार सहित बाहर रहवास करता है इसलिए जरिये मुख्तयार अपीलांटस सं० 1 के साथ उक्त अपील पेश की है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (भू०अ०) चिडावा द्वारा खेत 2069/485 की 0.18 है० तादादी पर 1800 वर्गमीटर की भूमि का आवासीय ईकाई के रूप में संपरिवर्तन/रूपान्तरण का जो आदेश दिनांक 02.09.2020 पारित किया गया है उसे निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट सं० तहसीलदार (भू०अ०) चिडावा ने विवादित भूमि के कम संपरिवर्तन के प्रस्तुत आवेदन पत्र के कालेन सं० 16 में किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं होने की रिपोर्ट के आधार पर संपरिवर्तन आदेश जारी किये हैं जबकि विवादित भूमि के कम में मान० उच्च न्यायालय,

जिला काराबंद इन्स्पेक्टर

उत्प्रेक्षित अधिकारी न्यायालय, राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, माननीय न्यायालय राजस्व सभ्यता में विवादित भूमि के क्रम में वाद लम्बित/विचाराधीन है। माननीय न्यायालय एडीजे कोर्ट के आदेश पर स्थगन है। विवादित भूमि के मौके पर मंदिर, समाधि आदि बने हुए हैं जबकि संपरिवर्तन के लिए मौके पर भूमि का खाली होना जरूरी है। विवादित भूमि के क्रम में पुलिस थानाचिडावा में हकीमुद्दीन व अन्य के खिलाफ एफआईआर नं. 680/19 के फौजदारी प्रकरण में दि. 20.11.19 को अपीलान्टस के वादग्रस्त खेत ख0 नंबर का नक्शा मौका तैयार किया है जिसमें मंदिर, कुआं आज भी मौजूद है जिससे प्रारंभ से लेकर आज तक वादग्रस्त खेत पर अपीलान्टस पक्ष का काबिज होना स्पष्ट साबित है किंतु पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट व नक्शा में कहीं भी इन स्मारक बाबत कुछ भी अंकित या दर्शित नहीं किया कि इनसे स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट ने अप्रार्थी सं0 2 के प्रभाव में गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा का आदेश दिनांक 02.09.2020 निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोंडेन्ट सं0 1 तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा की ओर से बहस कर तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के क्रम में किसी भी न्यायालय का कोई विधिवत् स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है। अपीलान्ट को अपील पेश करने हेतु अनुमति लेनी चाहिए थी। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष अपील विधिवत् तरीके प्रस्तुत नहीं की है, जो कानूनन खारिज होने योग्य है। रेस्पोंडेन्ट सं0 1 तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा द्वारा जारी आदेशों में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अपील अपीलान्ट द्वारा संपरिवर्तन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील आधारहीन है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक ने रेस्पोंडेन्ट सं0 2 की ओर से बहस कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट विवादित भूमि के खातेदार/हिस्सेदार ही नहीं है। अपीलान्ट को विवादित भूमि के क्रम में इस न्यायालय में अपील पेश करने का ही कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील अन्दर मियाद भी नहीं है और ना ही अपील अपीलान्ट ने अपील के साथ कोई प्रासंगिक दफा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया है। विवादित भूमि के क्रम में किसी भी न्यायालय का कोई विधिवत् स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था। रेस्पोंडेन्ट सं0 1 तहसीलदार (भू0अ0) चिडावा द्वारा जारी आदेशों में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अपील अपीलान्ट द्वारा संपरिवर्तन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील आधारहीन है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

28
जिला कलेक्टर झुंझुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्ट का मुख्य कथन यह है कि तहसीलदार चिड़ावा द्वारा संपरिवर्तन की गई विवादित आराजी की बाबत विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश झुंझुनू के आदेश दिनांक 19.04.2001 को अपने आदेश दिनांक 21.12.2018 द्वारा स्थगित कर दिया। जो वर्तमान में भी विद्यमान है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 का मुख्य कथन यह है कि वर्तमान में विवादित भूमि का टाईटल उसके नाम है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 का विवादित भूमि पर मालिकाना हक रखता है, जिससे वह उक्त भूमि का रूपान्तरण कराने का पूर्ण अधिकार रखता है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष अपील तहसीलदार चिड़ावा द्वारा किये गये संपरिवर्तन आदेश कि की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 द्वारा उक्त विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 28.02.2020 को अन्वय पुत्र श्री बजरंग लाल जाति जाट निवासी अरड़ावता से विधिवत् तरीके से खरीदी है। उक्त विक्रय पत्र के क्रेता व विक्रेता अपीलान्ट द्वारा बताये गये किसी भी न्यायालय के पक्षकार नहीं है। साथ ही उक्त स्थगन का अंकन भी पत्रावली पर उपलब्ध किसी राजस्व रिकार्ड में नहीं है। ऐसे में अपीलान्ट के इस तर्क को सही नहीं माना जा सकता कि तथ्यों को छुपाकर अदालत मातहत द्वारा संपरिवर्तन आदेश पारित किया गया/करवाया है। वर्तमान में रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 विवादित भूमि का खातेदार है, जिसे उसने नियमानुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की है। क्रेता सद्भावी क्रेता है। उसके द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा इस प्रोसिस की पालना करते हुये सरकारी फीस का भुगतान करते हुये संपरिवर्तन आदेश हुआ है। अदालत मातहत द्वारा रिकार्ड व मौके की पूर्ण जांच कर संपरिवर्तन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन आदेश पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से हटा हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर बीबी खान)
जिला कलक्टर,

झुंझुनू

21/01/21